

13.02.2024

वादी अनुपस्थित। उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 पूर्व से एकपक्षीय।

प्रकरण एकपक्षीय वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

प्रकरण में पुकार लगायी गयी। वादी अनुपस्थित है, उनकी ओर से कोई भी अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं है।

प्रकरण चायकाल पश्चात् पेश हो।

सही/—

(विवेक गर्ग)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 खैरागढ़

सिविल जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

समय

03:00 बजे

पुनश्च:

प्रकरण में वादी को बार-बार पुकार लगायी गयी वादी अनुपस्थित है, उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 पूर्व से एकपक्षीय।

प्रकरण थोड़ी देर बाद पेश हो।

सही/—

(विवेक गर्ग)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 खैरागढ़

सिविल जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

समय

05:00 बजे

पुनश्च:

प्रकरण में वादी को बार-बार पुकार लगायी गयी वादी अनुपस्थित है, उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 पूर्व से एकपक्षीय।

उभयपक्ष की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

प्रकरण परिणाम दर्ज कर विधिवत् व्यवस्थित कर अभिलेखागार राजनांदगांव में प्रेषित किया जावे।

सही/—

(विवेक गर्ग)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 खैरागढ़

सिविल जिला राजनांदगांव (छ.ग.)